

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
20.2.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील की हस्तलिखित रिपोर्ट 09 R.7 स्वीकार की जाती है। जबकि प्रार्थी में पेश हो चुका है। वस्तु बहस दिनांक 4.3.20 को पेश हो।
4.3.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस में उभरें लक्ष्य के मध्यमजर तस्वीलदा टोडाभीम से रिपोर्ट आवश्यक है। अतः मूल प्रार्थनापत्र एवं जबकि की प्रती प्रेजकर मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। तस्वीर जारी करे। दिनांक 24.3.20 को पेश हो।
24.3.20	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी प्रार्थनापत्र प्रेषित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.3.20 को पेश हो।
8.8.20	माकडाउन से जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी प्रार्थनापत्र प्रेषित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.8.20 को पेश हो।
22.8.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रार्थनापत्र प्रेषित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 21.11.20 को पेश हो।
21.11.20	वकील उभयपक्ष एवं प्रैरिजा सरकार (उप) मौका रिपोर्ट पेश करे। दिनांक 12.11.20 तक मेहल्लर जारी। मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.20 को पेश हो।
12.11.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रार्थनापत्र प्रेषित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26.11.20 को पेश हो।
26.11.20	वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रार्थनापत्र प्रेषित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.11.20 को पेश हो।

923
6-3-20

गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

21.20 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी, दुर्गा प्रसाद मीना
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2.2.1.2.1...
को पेश हो।

1. प्रार्थी वकील क चैरोका सरकार उपरो/ रिपोर्ट पेश करने
7 दिन का समय पाया समय दिया गया। मोका रिपोर्ट
पेश करने दि 29.1.21 को पेश हो।

2. प्रार्थी वकील उपरो वस्तुकार मोका रिपोर्ट दिनांक
12.2.21 को पेश हो।

3. प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रतिवादी ने
मोका रिपोर्ट प्रस्तुत कि शामिल की गई मोका रिपोर्ट
है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र लख्खराम जाति ब्राह्मण ने
ग्राम मोरडा के खं.नं. 1747/0.43 एवं 1748/0.01, 1749/0.44
में जाने के लिए खं.नं. 1751 में होकर रास्ता-पहा ही
गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम के मु.नं. 138/18
नवानी- रामस्वरुप बनाम कमलेश कोठ में फाईनल डिक्ली
क्याद खं.नं. 1747/0.43 के नवीन खं.नं. 5430/1747/0.04
5434/1747/0.05, 5435/1747/0.05, 5436/1747/0.05, 5437/
1747/
0.02
5438/1747/0.02, 5439/1747/0.02, 5440/1747/0.02, 5441/
1747/
0.04
5431/1747/0.04, 5432/1747/0.04, 5433/1747/0.04 बन गये हैं,
प्रार्थी जगदीश के नाम खं.नं. 1747 के नवीन खं.नं. 5430/
1747/
0.04,
5439/1747/0.02, 5441/1747/0.04 आये हैं वादी की लोतेदारी
की आराजी 5430/1747 के सामने से मुख्य सड़क से रा030

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करोली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

सा० विद्यालय मोरडा को जाने वाला रास्ता है जो वर्तमान में चालू है एवं खं. नं. 5430/1747 कुआ के खसरा नं. 1748, 1749 समीप है एवं खं. नं. 5441/1747 व 5439/1747 के सामने से मुख्य सड़क गुवाचन्द्र जी से नांगल रोडपुर जाती है। इस प्रकार रास्ता उपलब्ध होने से अलग से और रास्ता की आवश्यकता नहीं है।

मौका रिपोर्ट का प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील ने अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात इन्होंने स्वीकार किया कि खं. नं. के पश्चात खेत दारी में शायी भूमि से खं. नं. 1748, 1749 में जाने का रास्ता उपलब्ध है।

प्रार्थी वकील व प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट व नर्सरी नक्शा का अवलोकन के पश्चात कथन करने प्रार्थी को अपनी आराजी एवं कुआ एवं कुआ की गूनी तक पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार अब प्रकरण में रास्ता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राज० काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल नुमांर होकर नम्बर्स कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.21 को सुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करोली

